कार्यापालक सारांश

पृष्ठभूमि

द्वादस वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में बिहार सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा0उ0ब0प्र0) अधिनियम, 2006 का गठन किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय स्थायित्व एवं वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व घाटा के उतरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं मध्यकालीन राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति का संचालन करना है। राज्य सरकार द्वारा इन सुधारों के लिए की गई वचनबद्धता को विस्तृत रूप से आगामी बजटों की घोषित नीति में दर्शाया गया । चूँकि रा0उ0ब0प्र0 अधिनियम का लाभ बहुत हद तक यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा चालू वित्तीय वर्ष छोड़कर जबकि यह भी पुनरीक्षित प्राक्कलन के भीतर है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अन्दर रहा ।

राज्य सरकार ने वर्ष-दर-वर्ष राज्य वित्त पर साक्ष्य के रूप में दिये गए आंकड़े राजकोषीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर एक संस्थागत क्रियाविधि को स्थापित कर अच्छा कार्य किया है। हालांकि, यह आंकड़ा ऋण की स्थिति सहित वित्तीय प्रबंधन आदि की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा राज्य विधान मंडल एवं अन्य जोखिम धारकों के लाभ के लिए प्रस्तुत नही करता है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित, इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है एवं यह तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-**I** वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2010 तक के सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है । यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार-प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य के कार्यवाहक एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है।

अध्याय-**II** विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदान वार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबंध किस ढंग से किया है, का वर्णन करता है।

अध्याय-**III** विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ सरकार के अनुपालन की एक सूची है । लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित किये गए अतिरिक्त आँकड़ा भी इस अध्याय में होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय अनुशासन– राज्य की वित्तीय स्थिति को घाटा सूचक प्रवृत्ति की नजर से देखने पर प्रकट हुआ कि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में ह्रास हुआ है। यद्यपि राज्य ने इन वर्षों के दौरान राजस्व की अतिरिक्त बचत को बनाये रखा और राजस्व घाटे को दूर करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लक्ष्य को पूर्व में ही प्राप्त कर चुका था तथापि चालू वर्ष के दौरान राजस्व बचत में कमी आई। वित्तीय घाटा जो अच्छी तरह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर था, वर्ष के दौरान 3.40 प्रतिशत बढ़ गया, वह भी 3.5 प्रतिशत की पुनरीक्षित अनुशंसा के भीतर था।

गैर योजना व्यय को कम करने की आवश्यकता– कुल व्यय का 80 प्रतिशत राजस्व–व्यय था जिसमें से 74 प्रतिशत गैर योजनांतर्गत शीर्ष में था। इसमें वेतन, पेंशन भुगतान, ब्याज देयताएँ एवं आर्थिक सहायता पर व्यय भी शामिल थे, जो 77 प्रतिशत गैर योजना राजस्व व्यय है।

सरकारी निवेश की समीक्षा–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों सहकारी–बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों पर विगत तीन वर्षों के दौरान औसत प्रतिलाभ 0.24 से 0.38 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि उधारों पर भुगतान किए गए सरकारी औसत ब्याज दरें 6.48 से 7.93 प्रतिशत तक के पास में थी। स्पष्टतः यह योजना असह्य थी। अतः सरकार को अपने निवेश के बदले अधिक मौद्रिक–मूल्य प्राप्त करने हेतु कदम उठाना चाहिए। अन्यथा उच्च लागत पर उधार ली गई निधियों को परियोजनाओं में निवेशित कर कम वित्तीय प्रतिलाभों के कारण आर्थिक क्षति उठानी जारी रहेगी।

राजकोषीय देयताओं की वृद्धि के साथ सरकारी निवेश पर नगण्य दरों के प्रतिलाभ तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत की वसूली के कारण मध्यम से दीर्घ अवधि के असह्य ऋण की स्थिति उत्पन्न होगी जब तक कि गैर योजना राजस्व व्यय को कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय न कि जाएँ तथा कर एवं गैर–कर दोनो स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को न जुटाए जाएँ।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण– 2009–10 के दौरान ₹ 10546 करोड़ की बचत जो ₹ 10644 करोड़ के कुल बचतों के परिणाम स्वरूप थी और ₹ 98 करोड़ से ज्यादा हो रही थी। इस अधिकाई व्यय को संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा जाँच के दौरान यह भी प्रकट हुआ कि जिनमें अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचतों से अधिक थी, जो बजटीय नियंत्रण के अभाव एवं अपर्याप्त होना दर्शाता है आठ मामलों में ₹ 462 करोड़ के बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित की गई कुल राशि ₹ 483 करोड़ थी, परिणामस्वरूप ₹ 21 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किये गए। अनुदानों/विनियोजनों के 25 मामलें जिनमें ₹ 5861 करोड़ की बचत हुई परन्तु ₹ 3182 करोड़ (बचत का 54.30 प्रतिशत) संबंधित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नही किये गए थे। इसी प्रकार 43 मामलों में बचत के ₹ 6063 करोड़ मार्च 2010 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किये गए। अधिक व्यय के ₹ 7081 करोड़ नियमन के लिए 1977 से 2009 तक लंबित थे। 69 योजनाओं में 100 प्रतिशत निधियों के अभ्यर्पण की राशि ₹ 522 करोड़ थी। इस प्रकार राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों (त्रुटियों) को दूर करने के लिए बजटीय

नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना होगा। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम माह में 18 मुख्य शीर्षो में सघन व्यय हुआ जो कुल व्यय का 67 प्रतिशत था।

वित्तीय प्रतिवेदन- विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार का कार्य असंतोषजनक था, जैसा कि विभिन्न संस्थाओं के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधिक मात्रा में लंबित दर्शाया गया है। सरकार ने विभिन्न निकायों/संस्थानों को नियत उद्देश्यों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना सहायता अनुदान दे दिया था। पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसा की जाती है कि उन संस्थानों को अनुदान/माँगे नहीं दी जानी चाहिए जो निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल हैं। राज्य सरकार के सामने विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का बड़े पैमाने पर लंबित होना एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए डी0सी0 विपत्र को समय पर प्रस्तुत करने हेतु मजबूत कदम उठाने एवं सभी शेष डी0सी0 विपत्र को निबटाने हेतु प्रभावकारी कदम की शीघ्र आवश्यकता है।

चूँकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अपने वार्षिक प्रोफार्मा लेखा को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को नियमित एवं समय पर लेखा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें निदेश अवश्य दिया जाना चाहिए। बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्ति के परिचालन को भविष्य में टालना चाहिए जिससे कि वास्तविक लेखा संबंधित मुख्य शीर्ष में परिलक्षित हो सके। हानि एवं दुर्विनियोजन के बहुत से मामले प्रकाश में आए एवं सरकार को इन सभी मामलों में समय से अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए।